बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०–ल०सिं०मो०–अनियमितता–211/2020– 1345 (मो०) */पटना, दिनांक–* 29/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अचंल, मुजफ्फरपुर।

विषयः– **सीतामढ़ी जिलान्तर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् परिहार प्रखण्ड के जगदर धोबियाही पोखर के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **श्री अजय कुमार, मुखिया, ग्राम–घाघरा, पो०–बबूरवन, थाना+प्रखण्ड–परिहार, अंचल–परिहार, जिला–सीतामढ़ी से प्राप्त आवेदन संख्या–शून्य, दिनांक–02.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में **श्री अजय कुमार, मुखिया, ग्राम–घाघरा, पो०–बबूरवन, थाना+प्रखण्ड–परिहार, अंचल–परिहार, जिला–सीतामढ़ी** ने सूचित किया है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखण्ड के जगहर धोबियाही पोखर में जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् क्रियान्वित हो रही योजना के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरती जा रही है।

प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। योजना का कार्य यदि प्राक्कलन विशिष्टियों के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है तो संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा एवं बिहार ठीकेदार निबंधन नियमावली प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करें तथा दोषी अभियन्ताओं के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
27/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1345 (मो०) */पटना, दिनांक–* 29/6/2020

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1345 (मो०) */पटना, दिनांक–* 29/6/2020

प्रतिलिपि–श्री अजय कुमार, मुखिया, ग्राम–घाघरा, पो०–बबूरवन, थाना+प्रखण्ड–परिहार, अंचल–परिहार, जिला–सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

27/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\JUNE-2020\E.E. SITAMARHI -J.J.H.A.- PARIHAR-24-06-2020.DOCX

S.E(M) सेवा में,

लघु जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना
09 JUN 2020
विषय :-
3141
09/06/2020
J&S
10-06-2020

श्री गोपाल मीणा,

अपर सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा परिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत जगदर धोबियाही पोखर के जीर्णोद्धार कार्य में संवेदकों और मुख्य कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल सिंचाई प्रमंडल, सीतामढ़ी के मिलीभगत से पोखर के जीर्णोद्धार में अनियमितता बरतने के संबंध में।

महाशय,

2642 (आ०)
12-06-2020

निवेदन पूर्वक मैं सूचित करना चाहता हूँ कि परिहार प्रखंड के अन्तर्गत जगदर धोबियाही पोखर में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत संबंधित मुख्य कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल सिंचाई प्रमंडल, सीतामढ़ी के द्वारा संवेदक के माध्यम से जगदर धोबियाही पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। जिसमें बहुत सारी अनियमितता बरती जा रही है। उपर्युक्त संवेदक द्वारा पोखर खोदाई नहीं कर रहा एवं भिंडा बांधने में बहुत सारा अनियमितता बरती जा रही है और संवेदक को ठीक ढ़ंग से पोखर जीर्णोद्धार के कार्य करने के लिए बोला गया तो संवेदक बोला कि हमें सिर्फ पोखर का भिण्डा बांधना है और पोखर का खोदाई नहीं करना है। परन्तु कार्यादेश में साफ–साफ लिखा हुआ है कि 2 मीटर मिट्टी को खोदाई करना है एवं भिण्डा को 36 फीट चौड़ाई करना है लेकिन कार्यादेश के निर्देश नियमानुसार काम नहीं किया जा रहा है उपर्युक्त पोखर में अगर खोदाई एवं भिण्डा बांध का काम सही ढ़ंग से नहीं किया गया

(2)

तो पोखर में एकत्रित एवं भंडारित जल नहीं रह पाएगा और न ही उस पोखर में मत्स्य पालन होगा जिससे हम मछुआरों को मत्स्य पालन करना मुश्किल हो जाएगा।

बड़ी बात यह है कि आगामी मानसून (15 जून से पूर्व) शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण करना था। लेकिन संवेदक एवं कार्यपालक अभियन्ता के लापरवाही के चलते दिनांक– 02.06.2020 तक मात्र 10 प्रतिशत ही काम किया है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपर्युक्त सभी बातों पर ध्यान देते हुए आप अपने स्तर से पोखर के कार्य को जाँच कर दोषी संवेदक और कार्यपालक अभियन्ता पर कानूनी कार्यवाई किया जाए एवं पोखर जीर्णोद्धार का कार्य मानसून के पहले सही ढ़ंग से पूरा काम करवाने की कृपा प्रदान किया जाए।

विश्वासभाजन

दिनांक– 02/06/2020

अजय कुमार मुखिया

(अजय कुमार मुखिया)

ग्राम– घाघरा, पो0– बबूरवन,

थाना+प्रखण्ड– परिहार,

अंचल– परिहार

जिला– सीतामढ़ी।

पिन कोड– 843324

मो0नं0– 9304894020

बन्दोवस्ती पट्टा

परिहार प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड

मुख्यालय– लक्ष्मीपुर

क्रमांक 125

दिनांक 21.08.2019

जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक संख्या 510 दिनांक 14.08.2019 के आलोक में समिति के साथ हुए दीर्घकालीन/अल्पकालीन बनदोवस्ती 01.07.2019 से 30.06.2022 की गई है। यह समिति के प्रबंध कारिणी समिति से पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 17.06.19 के आलोक में तालाब का नाम छोकमारी पोखर खाता 526 खेसरा 1133 रकवा 4.38 सुरक्षित जमा राशि 14000.00 समिति लाभांश 140 रू0 में पट्टेदार सदस्य श्री अजय कुमार मुखिया, बिल्टु मुखिया, श्यामकली देवी

पिता बिल्टु मुखिया

ग्राम [illegible] पो0 [illegible] थाना परिहार जिला–सीतामढ़ी के साथ दिनांक 1.07.19 से दिनांक 30.06.2022 तक बन्दोवस्त करती है। राजस्व जमा का रसीद बाद में निर्गत की जायेगी।

नोटः– सुरक्षित जमा की राशि समिति के खाते में पट्टेदार सदस्य 15 जुलाई तक जमा कर देगें। द्वितीय किस्त की राशि 30 जनवरी से पहले जमा कर देगें। नहीं जमा करने पर बकायादार घोषित करते हुए जलकरों की बन्दोवस्ती रद्द कर दी गई।

अजय कुमार मुखिया

पट्टेदार सदस्य का ह0/निशान

मंत्री
परिहार प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि०

मंत्री/अधिकारी का हस्ताक्षर

सेवा में,

अमृत लाल मीणा,

प्रधान सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

09 JUN 2020

विषय :- जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा परिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत जगदर धोबियाही पोखर के जीर्णोद्धार कार्य में संवेदकों और मुख्य कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल सिंचाई प्रमंडल, सीतामढ़ी के मिलीभगत से पोखर के जीर्णोद्धार में अनियमितता बरतने के संबंध में।

2383/ACS 09/6/20

महाशय,

निवेदन पूर्वक मैं सूचित करना चाहता हूँ कि परिहार प्रखंड के अन्तर्गत जगदर धोबियाही पोखर में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत संबंधित मुख्य कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल सिंचाई प्रमंडल, सीतामढ़ी के द्वारा संवेदक के माध्यम से जगदर धोबियाही पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। जिसमें बहुत सारी अनियमितता बरती जा रही है। उपर्युक्त संवेदक द्वारा पोखर खोदाई नहीं कर रहा एवं भिंडा बांधने में बहुत सारा अनियमितता बरती जा रही है और संवेदक को ठीक ढ़ंग से पोखर जीर्णोद्धार के कार्य करने के लिए बोला गया तो संवेदक बोला कि हमें सिर्फ पोखर का भिण्डा बांधना है और पोखर का खोदाई नहीं करना है। परन्तु कार्यादेश में साफ–साफ लिखा हुआ है कि 2 मीटर मिट्टी को खोदाई करना है एवं भिण्डा को 36 फीट चौड़ाई करना है लेकिन कार्यादेश के निर्देश नियमानुसार काम नहीं किया जा रहा है उपर्युक्त पोखर में अगर खोदाई एवं भिण्डा बांध का काम सही ढ़ंग से नहीं किया गया

2553 (मो०) 10-06-2020

तो पोखर में एकत्रित एवं भंडारित जल नहीं रह पाएगा और न ही उस पोखर में मत्स्य पालन होगा जिससे हम मछुआरों को मत्स्य पालन करना मुश्किल हो जाएगा।

बड़ी बात यह है कि आगामी मानसून (15 जून से पूर्व) शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण करना था। लेकिन संवेदक एवं कार्यपालक अभियन्ता के लापरवाही के चलते दिनांक– 02.06.2020 तक मात्र 10 प्रतिशत ही काम किया है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपर्युक्त सभी बातों पर ध्यान देते हुए आप अपने स्तर से पोखर के कार्य को जाँच कर दोषी संवेदक और कार्यपालक अभियन्ता पर कानूनी कार्यवाई किया जाए एवं पोखर जीर्णोद्धार का कार्य मानसून के पहले सही ढ़ंग से पूरा काम करवाने की कृपा प्रदान किया जाए।

विश्वासभाजन

दिनांक–

अजय कुमार मुखिया

(अजय कुमार मुखिया)

ग्राम– घाघरा, पो0– बबूरवन,

थाना+प्रखण्ड– परिहार,

अंचल– परिहार

जिला– सीतामढ़ी।

पिन कोड– 843324

मो0नं0– 9304899420

बन्दोवस्ती पट्टा

परिहार प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड

मुख्यालय- लक्ष्मीपुर

क्रमांक 125 दिनांक 21.08.2019

जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक संख्या 510 दिनांक 14.08.2019 के आलोक में समिति के साथ हुए दीर्घकालीन/अल्पकालीन बनदोवस्ती 01.07.2019 से 30.06.2022 की गई है। यह समिति के प्रबंध कारिणी समिति से पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 17.06.19 के आलोक में तालाब का नाम चोवमारी पोखर खाता 526 खेसरा 1183 रकवा 4.38 सुरक्षित जमा राशि 1400.00 समिति लाभांश 140 रू० में पट्टेदार सदस्य श्री अजय कुमार मुखिया, बिल्टू मुखिया, श्यामकली देवी पिता बिल्टू मुखिया ग्राम हरिहरी पो० बभनगामा थाना परिहार जिला-सीतामढ़ी के साथ दिनांक 1.07.19 से दिनांक 30.06.2022 तक बन्दोवस्त करती है। राजस्व जमा का रसीद बाद में निर्गत की जायेगी।

नोटः- सुरक्षित जमा की राशि समिति के खाते में पट्टेदार सदस्य 15 जुलाई तक जमा कर देगें।
द्वितीय किस्त की राशि 30 जनवरी से पहले जमा कर देगें। नहीं जमा करने पर बकायादार घोषित करते हुए जलकरों की बन्दोवस्ती रद्द कर दी गई।

मंत्री
परिहार प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि०

अजय कुमार मुखिया

पट्टेदार सदस्य का ह०/निशान

मंत्री/अधिकारी का हस्ताक्षर